


19.09.2025

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या तीन के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से अपीलार्थी उक्त कार्यवाही को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः उक्त अपील को जरिए विद्गो निस्तारित करना फरमावें। उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल किया गया। चूंकि अपीलार्थी उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः अपीलार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर इस अपील को जरिए विद्गो खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(अल्पा चौधरी)  
जिला कलक्टर,सिरोही